



2026:AHC:56850

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9465 / 2026

मोंटी कुमार

...आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पुनीत कुमार

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.- प्रथम डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।

2. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- बिहारगढ़, जिला- सहारनपुर में पंजीकृत केस अपराध संख्या 108/2023 (धारा 498 ए, 304 बी, 506 आई.पी.सी. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु वर्तमान जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, परंतु उसे झूठे आरोपों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह ऐसा मामला है जिसमें मृतका की मृत्यु विवाह के एक महीने के भीतर हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि उसने आत्महत्या की है, क्योंकि पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह अत्यधिक असंभाव्य है कि विवाह के तुरंत बाद आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग के लिए मृतका को इस हद तक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि एक महीने के भीतर उसे आत्महत्या करनी पड़ी।

5. वह आगे तर्क देते हैं कि वास्तव में मृतका का विवाह आवेदक के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ था और वह आवेदक से विवाह नहीं करना चाहती थी; इसी कारण विवाह के बाद वह अवसाद में थी और उसने अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन भी नहीं किया, जिसके कारण अक्सर पति-पत्नी के बीच विवाद होता था और इसी कारण उसने विवाह के एक महीने के भीतर आत्महत्या कर ली।

6. वह आगे कहते हैं कि विवाह की मध्यस्थ श्रीमती शैलेंद्री, जो मृतका की सगी मौसी थीं, उनके बयान से भी यह स्पष्ट होता है कि विवाह के समय दहेज की मांग को लेकर कोई विवाद नहीं था, और यह तथ्य पुनः यह संकेत देता है कि यह दहेज मृत्यु का मामला नहीं है।

7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 11.06.2025 से जेल में निरुद्ध है, यानी पिछले आठ महीनों से अधिक समय से।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के एक महीने के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ना का आरोप भी है। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संकेत देती है कि उसकी मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी। विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 11.06.2025 से जेल में निरुद्ध है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के रिकॉर्ड का परिशीलन किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के एक महीने के भीतर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है और चार पहिया वाहन की मांग के संबंध में प्रताड़ना का आरोप भी है, परंतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए, इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवाह की अल्प अवधि को देखते हुए, वर्तमान जमानत आवेदन में आवेदक द्वारा बताए गए आत्महत्या के कारण को भी इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

11. इसके अतिरिक्त, विवाह की मध्यस्थ, जो मृतका की सगी मौसी भी थीं, उनके बयान से भी यह परिलक्षित होता है कि विवाह के समय दहेज की मांग को लेकर कोई विवाद नहीं था।

12. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 11.06.2025 से जेल में निरुद्ध है।

13. इसके अलावा, कानून सुस्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्य से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

14. अतः, ऊपर चर्चित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. उपरोक्त केस में आवेदक- **मोंटी कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 मार्च, 2026

ए.के. पांडे

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।